

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) प्रमाण पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950(अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/ 10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला
 प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल
 जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।
 अथवा,

मैं पिता राज्य का/की मूल निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-

4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

5. मैंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के रूप में सूचीबद्ध है।

6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ।
 खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
 प्रथम पीढ़ी
 ↓
 द्वितीय पीढ़ी
 ↓
 तृतीय पीढ़ी
 ↓
 चतुर्थ पीढ़ी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

7. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आब्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आब्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।